संख्या-1060/2023/सा0-2295/23-1-23-23-1099/196/2023

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 12 दिसम्बर, 2023**

विषय- प्रदेश के ग्रामीण श्रेणी के मार्गों को अन्य जिला मार्ग श्रेणी में उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-87कैम्प-प्र0अ0/विकास/07(प्र0स0)/23, दिनांक 14.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की संस्तुति के आधार पर उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त ग्रामीण मार्गों पर यातायात की सुगमता एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनमानस को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के स्वामित्वाधीन ग्रामीण श्रेणी के मार्गों को अन्य जिला मार्ग श्रेणी में उच्चीकरण किये जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना निर्णीत हुआ है :-

क. निम्नलिखित मापदंडो में से किसी भी एक मापदंड पर पात्र ग्रामीण मार्ग को अन्य जिला मार्ग श्रेणी में उच्चीकृत किया जायेगा, जिस मार्ग की लम्बाई 15 कि0मी0 से कम हो:-

i. मंडी/गन्ना क्रय केंद्र/अनाज क्रय केंद्र/उपमंडी को जाने वाली सड़क।
ii. तहसील मुख्यालय (कार्यालय)/ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क /पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार के सामने से गुजरने वाली सड़क।
iii. मेडिकल कॉलेज/ट्रॉमा सेंटर/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/30 से अधिक बिस्तरों वाली चिकित्सा सुविधा को जोड़ने वाली सड़क।
iv. विश्वविद्यालय/डिग्री कॉलेज/इंटर कॉलेज/उससे उच्च श्रेणी की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थान को जोड़ने वाली सड़क ।
v. रेलवे स्टेशन/डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर/महत्वपूर्ण उद्योगों/औद्योगिक पार्क/औद्योगिक नोड /औद्योगिक मार्ग/डिफेन्स कॉरिडोर स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क ।
vi. बस संचालन वाली सड़क।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ख. एक ही संरेखण में एक या एक से अधिक ग्रामीण मार्गों जिनकी संयुक्त लम्बाई 15 km या अधिक है एवं निम्नलिखित स्कोरिंग मापदंड के अनुसार 75 से अधिक अंक प्राप्त करती हुई सड़क–

S. No.	Parameters	Category Weight	Weights
1	**Population (Census 2011) of the habitation/ village connected by the Through Route (Highest score)**	**30**	
	• 5000 and above		30
	• 3000 to 4999		20
	• 1000 to 2999		10
	• Less than 1000		05
2	**Market Facilities (Cumulative Score)**	**30**	
	• Mandi / Sugarcane Purchase Centre / Grain Purchase Centre / Up Mandi		15
	• Warehouse/ Cold Storage/ Agro Industry		10
	• Collection Centre/ Pack house		5
3	**Educational Facilities (Highest score)**	**15**	
	• High School		10
	• Higher Secondary School		12
	• University / Degree College / Girls High School/ ITIs		15
4	**Medical Facilities (Highest score)**	**15**	
	• Veterinary Hospital		10
	• Medical College /Medical Trauma Centre / Community Health Centre / Primary Health Centre / Upto 30 Bedded Hospital		15
5	**Transport Infrastructure (Cumulative Score)**	**10**	
	• Railway Station / Dedicated Freight Corridor Important Industries / Industrial Park / Industrial Node / Industrial Route / Defence Corridor Stations / Bus Stand / Bus Terminal		4
	• Administrative Centre (Panchayat HQ)		4
	• Bank/ Fuel Station		2

2- उपर्युक्त नीति के आधार पर पात्र ग्रामीण मार्ग से अन्य जिला मार्ग श्रेणी के उच्चीकरण प्रस्ताव सृष्टि पोर्टल पर MIS एवं GIS में संशोधन कराने के उपरान्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा श्रेणी परिवर्तन के आदेश पारित किये जाएंगे।

3- यदि कोई ग्रामीण मार्ग उपर्युक्त मापदंड को पूर्ण नहीं कर रहा है परन्तु मार्ग का श्रेणी उच्चीकरण जनहित में विशिष्ट कारणों से अपरिहार्य है, ऐसे प्रकरणों में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा औचित्य के आधार पर उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर से श्रेणी उच्चीकरण के आदेश निर्गत किये जाएंगे।

4- उपर्युक्त मापदंडो के आधार पर ग्रामीण मार्गो के उच्चीकरण के समस्त प्रस्तावों के विश्लेषण एवं अनुमोदन हेतु विभाग द्वारा पोर्टल विकसित किया जाये ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णय का तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय चौहान
प्रमुख सचिव।

संख्या-1060/2023/सा0-2295/23-1-23, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/नियोजन विभाग/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग/नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग/उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।
13- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
14- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
15- लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग।
16- वेबमास्टर, लोक निर्माण विभाग।
17- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।